

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1731/2013/श्रीगंगानगर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-तृतीय, वृत्त-‘ए’, हनुमानगढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स इन्ड्योर प्रा० लिमिटेड, एस.टी.पी.एस., सूरतगढ़.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 22/06/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा गया है) के अपील संख्या 382/आरवेट/सूरतगढ़/2011-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.02.2009 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वेट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उड़नदस्ता, भादरा (हनुमानगढ़) (जिसे आगे ‘सक्षम अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 11.02.2009 को वाहन संख्या एच.आर. 61/4629 को बाईपास चौराहा भादरा में रोककर चैक किये जाने पर वाहन में जी.आई. पाईप्स दिल्ली से सूरतगढ़ के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल संख्या 1713 दिनांक 09.02.2009 जिसमें प्रेषक मैसर्स बक्शी ब्रदर्स एजेंसी प्रा० लि० दिल्ली एवं प्रेषिति मैसर्स मेहता एसोसियेट्स फायर प्रोटेक्शन सिस्टम प्रा० लि०, अहमदाबाद एवं इसके नीचे डिलीवरी एट-दी एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (स्टोर्स) एस.टी.पी.एस. सूरतगढ़ अकाउन्ट-दी इन्ड्योर प्रा० लि० सूरतगढ़ अंकित पाया गया; तथा मैसर्स पैरामाउंट कारगो कैरियर दिल्ली की बिल्टी संख्या 4293 दिनांक 09.02.2009 जिसमें प्रेषक मैसर्स बक्शी ब्रदर्स एजेंसी प्रा० लि० दिल्ली, प्रेषिति दी एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (स्टोर्स) एस. टी.पी.एस. सूरतगढ़ व मैसर्स दी इन्ड्योर प्रा० लि० सूरतगढ़ अंकित पाया गया। साथ ही घोषणा पत्र वेट-47 भी संलग्न नहीं पाया गया। इस पर सक्षम

लगातार.....2



22/06/17

अधिकारी द्वारा जारी किये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जाहिर किया गया कि उनके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को माल सप्लाई किये जाने हेतु उक्त माल केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के तहत आयात किया गया है। दस्तावेजों पर माल के प्रेषक/प्रेषिति एवं डिलीवरी बाबत स्पष्ट अंकन किया हुआ था। व्यवहारी द्वारा अपने जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 4449644 भी प्रस्तुत किया गया। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब एवं घोषणा पत्र को अस्वीकार करते हुए माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन किया जाना मानते हुए करापवंचन की मंशा से मिथ्या दस्तावेजों से माल का परिवहन किया जाना अवधारित करते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,66,214/- का आरोपण आदेश दिनांक 24.02.2009 से किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.12.2012 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का कथन है कि वक्त जांच माल के साथ घोषणा-पत्र वैट-47 संलग्न नहीं था। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय संव्यवहार बाबत स्पष्ट अंकन बिल्टी पर किया हुआ नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय संव्यवहार की आड़ में अधिसूचित माल का घोषणा प्रपत्र वैट-47 के बिना आयात कर राज्य में परिवहन किये जाने में के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा विधि अनुसार वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर समुचित रूप से विचार किये बिना सक्षम अधिकारी के उक्त विधिक आदेश को अपास्त करने में त्रुटि की गई है। अतः अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा कथन किया गया कि आयातित माल के साथ समस्त वांछित दस्तावेज उपलब्ध थे। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का कहना है कि वक्त चैकिंग वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत किये गये माल की इन्वॉयस में माल का "प्रेषक" मैसर्स बक्शी ब्रदर्स एजेंसी प्रा० लि० दिल्ली "प्रेषिति" मैसर्स मेहता एसोसियेट्स फायर प्रोटेक्शन सिस्टम प्रा० लि०,

लगातार.....3


22/06/17

अहमदाबाद 'अकाउन्ट' दी एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (स्टोर्स) एस.टी.पी.एस. सूरतगढ़ व मैसर्स दी इन्ड्योर प्रा० लि० सूरतगढ़ अंकित है। इस प्रकार माल के दस्तावेजों पर माल के प्रेषक-प्रेषिति का पूरा नाम व पता अंकित होने से सक्षम अधिकारी द्वारा इस संबन्धित आवश्यक जांच की जा सकती थी, किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जांच किये बिना प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय संबन्धित आवश्यक के तहत आयातित माल का परिवहन करापवंचन की मंशा से मिथ्या/फर्जी दस्तावेजों से राज्य में परिवहन किया जाना अवधारित करते हुए वैट अधिनियम की धारा 76(2) के विधिक प्रावधानों की अवहेलना किया जाना मानते हुए शास्ति आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है। प्रकरण में किसी प्रकार की करापवंचन की मानसिकता नहीं थी। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट-47 भी प्रस्तुत कर दिया गया था, जबकि घोषणा पत्र वैट-47 की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.12(15)वित्त/कर/2008/पार्ट-3 दिनांक 30.8.2008 के द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान घोषणा प्रारूप वैट-47 एवं वैट-49 माल के साथ नहीं होने पर भी व्यवहारी के विरुद्ध शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा उक्त आदेश दिनांक 27.02.2009 तक प्रभावी रहा है, जबकि हस्तगत प्रकरण दिनांक 11.02.2009 का है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि संबन्धित प्रकृति का निर्धारण वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत नहीं किया जा सकता, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न निर्णय पारित किये जा चुके हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में सक्षम अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध वक्त चैकिंग विवादित माल से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये बिल/बिल्टी के अवलोकन से पाया गया कि माल की एन्चॉयस में विक्रेता द्वारा माल मैसर्स मेहता एसोसियेट्स फायर प्रोटेक्शन सिस्टम प्रा० लि०, अहमदाबाद को 2 प्रतिशत सी.एस.टी. वसूल कर विक्रय किया गया है जिसमें डिलीवरी-मैसर्स दी एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (स्टोर्स) एस.टी.पी.एस. सूरतगढ़ व मैसर्स दी इन्ड्योर प्रा० लि० सूरतगढ़ को किये जाने का स्पष्ट अंकन है। इसी प्रकार बिल्टी में माल की डिलीवरी मैसर्स दी इन्ड्योर

लगातार.....4


Amal Kumar
22/06/12

प्रा० लि० सूरतगढ़ को किया जाना दर्शाया हुआ है। इससे विवादित माल का राज्य में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय संव्यवहार के रूप में परिवहनित होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो जाता है। सक्षम अधिकारी द्वारा माल के साथ उपलब्ध उक्त दस्तावेजों में अंकित माल प्रेषक/प्रेषिति से अपने स्तर पर किसी प्रकार की कोई जांच की जाकर इन दस्तावेजों को प्रथम दृष्टया मिथ्या/असत्य प्रमाणित नहीं किया गया है और न ही शास्ति आदेश में ऐसा कोई उल्लेख किया हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के कारण बताओ नोटिस की पालना में पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा-पत्र वैट-47 संख्या 4449644 भी प्रस्तुत कर दिया गया था जबकि प्रस्तुत प्रकरण में वैट-47 प्रस्तुत किये जाने की बाध्यता ही नहीं थी, क्योंकि राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.12(15)वित्त/कर/2008/पार्ट-3 दिनांक 30.8.2008 के द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान घोषणा प्रारूप वैट-47 एवं वैट-49 माल के साथ नहीं होने पर भी व्यवहारी के विरुद्ध शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के निर्देश हैं तथा उक्त आदेश दिनांक 27.02.2009 तक प्रभावी रहा है, जबकि हस्तगत प्रकरण दिनांक 11.02.2009 का है।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित निर्णय (2007) 28 एस.टी. टी. 131 मैसर्स बालाजी एन्टरप्राइजेज, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, गंगापुरसिटी के पैरा 7 में भी अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

".....There is nothing in the orders of all the three authorities below, which indicates that any enquiry was held into the genuineness of these three documents produced by the driver of the vehicle. As a matter of fact, **the production of these three documents satisfies the requirement of Section 78(2)(a) and (c) of the Act. The scope of Section 78(2) read with Section 78(5) was restricted and limited to the extent of verification of these three documents in support of the transit of goods alone.** The assessing authority could not have pursued and followed up the entire transaction of the sale of goods by transfer of documents of title under Section 6(2) of the C.S.T. Act and even assuming for argument sake that it could be followed, the doubt raised on the genuineness of the challan and blank bills Nos. 125 to 152 found in the bill book of the assessee was wholly uncalled for. Similarly, the non-recording of the sale in the books of accounts either in favour of M/s. Govind Oil Mill or subsequent purchaser at the time of checking on 12.1.99 was for consequence as the sale was not yet complete. No enquiry was made from the subsequent purchaser M/s

लगातार.....5


22/06/17

Suresh Chand Gaurav Kumar, to verify the actual transaction of sale and coupled with the fact of due C.S.T. having being charged by the assessee. **The assessee is entitled to sell the goods by transfer of documents of title to the goods while the goods are in transit under Section 6(2) of the C.S.T. Act.** The documents which accompanied the goods and vehicle were not found to be fake or forged in any manner by the assessing authority. The penalty under Section 78(5) of the Act, therefore, cannot be sustained in the present case."

8. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2013) 60 वी.एस.टी. 522 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन वार्ड-द्वितीय, भरतपुर बनाम मैसर्स के. एस. ऑयल्स में व्यवस्था दी गयी है कि धारा 76(6) के तहत संव्यवहार की प्रकृति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"I have considered the impugned order dated 22.01.2009 and am of the considered view that as the goods in transit were accompanied by all requisite documents under Section 76(2)(b) of the Act of 2003, the mere incident of the documents not being as the Assistant Commercial Taxes Officer, Anti-Evasion, Ward-II Bharatpur thought they ought to have been, was not an occasion for levy of penalty. The question of nature of transaction is a matter to be considered in the regular assessment proceeding and where the nature of transaction was improper in law such transaction could have been discarded and requisite tax levied in regular assessment proceedings. Admittedly, the goods in transit were tax paid and even otherwise the respondent-assessee could have made the transfer of goods by way of stock transaction without paying any tax whatsoever. The ACTO, Anti-Evasion, Ward-II could at best have referred the matter to the regular assessing authority but could not himself travel beyond his jurisdiction to pontificate on the issue of the irregularity of an inter-state sale being made by the respondent-assessee's Alwar office to its morena office. This was beyond his jurisdiction. The overall context of the factual situation obtaining on the record of the case is indicative of a complete absence of any intent to evade the tax."

9. प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों से प्रमाणित है कि माल का परिवहन केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत किया जा रहा था, जिससे सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा माल के साथ उपलब्ध दस्तावेजों को किसी जांच से मिथ्या/असत्य प्रमाणित किये बिना माल के संव्यवहार बाबत अपने निर्वचन को

[Handwritten Signature]
22/06/17


लगातार.....6

आधार बनाकर माल परिवहन में वैट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन होना मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना पूर्णतः अनुचित एवं अविधिक है।

10. उक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी की ओर से प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध आरोपित शास्ति को अपास्त करने हेतु पारित किया गया अपीलाधीन आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवं उचित है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. परिणामतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2009 की पुष्टि की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।


22/06/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य